

न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील:: 02/2021 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/38

अपीलांतगण :-
रंजन कंवर पुत्री केशरसिंहजी पत्नी
उत्तमसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी-
धिंगाना तहसील रोहट जिला-पाली
हाल निवासी- बिठण तहसील भिनमाल
जिला-जालोर (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टगण :-

4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी
तहसीलदार रोहट जिला-पाली (राज.)
5. शैतानसिंह पुत्र लाबूसिंह
6. धापकंवर पत्नी शैतानसिंह
जातिगण- राजपूत, निवासी-धिंगाना
तहसील रोहट जिला-पाली हाल
निवासी-समदडी जिला बाड़मेर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- अपीलांत की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल वर्मा
रेस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव
-:: निर्णय ::-

दिनांक :- 20/9/21

अधिवक्ता अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 443 पारित दिनांक 20.10.2020 जो तहसीलदार रोहट द्वारा पारित किया गया जो ग्राम धींगाना पटवार हल्का कुलथाना से सम्बन्धित है के विरुद्ध उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गई है। अपील म्याद बाहर होने से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के मय शपथ पत्र पेश कर अपील अपीलांत अन्दर म्याद शुमार कराने हेतु निवेदन किया है अपील अपीलांत सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं तहसीलदार रोहट से मूल नामान्तरकरण संख्या 443 दिनांक 20.10.2020 को तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांत ने कथन किया कि अपीलांत की कृषी भूमी मौजा धींगाना के खसरा नंबर 105 रकबा 0.07 बीघा किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा 106 रकबा 0.10 बीघा गैर मुमकिन बेरा व खसरा नंबर 107 रकबा 40 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही दोयम कुल खसरान 3 कुल रकबा 41 बीघा 15 बिस्वा आयी हुई है। जो अपीलांत की पैतृक सम्पती है। अपीलांत के दादा लाबूसिंहजी का 1/2 हिस्सा था। लाबूसिंहजी के 3 पुत्र थे जिनका सम्पूर्ण भूमी में 1/6 हिस्सा था जिनके एक पुत्र केशरसिंह था उनके देहान्त के बाद उनकी एक मात्र नाबालिग वारिस अपीलांत ही थी तथा जैर अपील आराजी अपीलांत की पुश्तैनी जमीन थी। लाबूसिंह की 2 पुत्रियों द्वारा म्यूटेशन अपील करने से सम्पूर्ण भूमी में 1/10 वां हिस्सा प्रत्येक का रहा क्योंकि लाबूसिंह के 5 संताने थी इसलिए सम्पूर्ण भूमी में 1/10 वां हिस्सा स्थित था अपीलांत केशरसिंह पुत्र लाबूसिंह की एक मात्र वारिस थी। तथा अपीलांत के पिता का देहान्त उनके नाबालिग अवस्था में ही हो गया था। इस कारण अपीलांत के कुदरती वली उसके बड़े पिता मदनसिंह थे। अपीलांत का 1/3 हिस्सा फर्जी तौर से बिना प्रतिफल दिए अपीलांत की नाबालिग अवस्था में डरा धमकाकर शैतान सिंह ने अपनी पत्नी के नाम बेचाण रजिस्ट्री करा दी तथा उसी दिन जिस दिन नाबालिग का बालिग म्यूटेशन भरकर पूर्व षडयंत्र रचकर उसी दिनांक 15.4.2015 को रेस्पोडेंट धापू कंवर के नाम रजिस्टर्ड बेचाण करवा दी। उस समय लाबूसिंह की पुत्रियों का नाम रेवेन्यू रेकॉर्ड में नहीं था। इस लिए अपीलांत को मुगालते में रखते हुए 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री बिना प्रतिफल के करवा दी। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई। प्रकरण सेशन न्यायालय के विचाराधीन है एवं रजिस्ट्री रद्द कराने का दावा भी जिला न्यायालय पाली में विचाराधीन है जिसके नामान्तरकरण करने हेतु प्रति तहसीलदार द्वारा पटवार हल्का को भेजी गई एवं पटवार हल्का द्वारा बिना जांच किए ही दिनांक 20.10.2020 को नामान्तरकरण भर दिया। जो निरस्त योग्य है। रजिस्ट्री रद्द हेतु दावा चल रहा है जिसमें तहसीलदार रोहट पक्षकार होते हुए भी नामान्तरकरण पारित कर दिया जो विधिविरुद्ध होने से निरस्तनीय है। इस सम्बन्ध में रेस्पोडेंट के विरुद्ध जीसीएमएस का प्रकरण भी विचाराधीन है जिसकी बिना जांच किए नामान्तरकरण पारित कर दिया जबकि अपीलांत द्वारा भूमी का बेचाण ही नहीं किया गया है न प्रतिफल की राशि ही दी गई इस वजह से भी नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। रंजना कंवर उस वक्त

क्रमशः.....2

जिला कलेक्टर, पाली

नाबालिग थी जिसकी जन्मतिथी 4.1.1998 थी जो 4.11.1996 बताकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बेचाण 7,13,100/- रूपये बताया है जो दिए ही नहीं गए है न चैक दिया गया है फिर भी उक्त रजिस्ट्री का इन्द्राज राजस्व रेकॉर्ड में जैर अपील नामान्तरकरण के किया गया है। उक्त सब गलत डेट ऑफ बर्थ बताकर किया गया है। जब अपीलांट 17 वर्ष की ही थी आराजी पर अपीलांट आज भी काबिज है नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस दिया जाकर नहीं सुना गया है एवं कानून को ताक पर रख कर किया गया है जो निरस्तनीय है। अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 443 दिनांक 20.10.2020 को निरस्त किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अपीलांट का 1/10 वां हिस्सा दर्ज किया जावे। नामान्तरकरण कोरोना काल में पारित किया जाने से अपील में देरी हुई जब अपीलांट बाद कोरोना गांव बीठण भीनमाल से पाली आई तो जानकारी हुई तब नकले प्राप्त कर वकील से मिलकर यह अपील पेश की गई जिसे जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रैस्पोंडेंट ने वक्त बहस कथन किया कि जिस पुलिस केस व एफआईआर की बात अधिवक्ता अपीलांट बता रहे है उसमें एफआर पेश हो चुकी है एवं प्रकरण पुलिस द्वारा बंद कर दिया गया है। तथा उन्होंने सभी आक्षेप गलत होना बताया है। अपीलांट वक्त रजिस्ट्री नाबालिग नहीं थी जिसके समर्थन में स्कूल का प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय धिंगाणा दिनांक 17.11.2006 की प्रति का भी उल्लेख कर बताई गई जो पत्रावली संलग्न है। नामान्तरकरण एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर पारित किया जाना बताया है तथा अपीलांट द्वारा अपने हिस्से की भूमि बेचाण जरिये रजिस्ट्री करने से नामान्तरकरण पारित किया गया है जो विधिक रूप से सही व न्यायोचित है। पंजीबद्ध दस्तावेज खारिज करने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। नामान्तरकरण रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर विधिसम्मत भरा गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है इसलिए अपील अपीलांट निरस्त फरमावे। अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत नहीं करने से निरस्त योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। कोरोना काल के कारण अपील में देरी हुई है उसे क्षम्य माना जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। इस अपील के संदर्भ में विचारणीय बिन्दु 2 है:-

1. क्या नामान्तरकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए भरा गया है ?
2. क्या रजिस्टर्ड दस्तावेज गलत है या नहीं अर्थात रजिस्ट्री गलत रूप से नाबालिग द्वारा कराई गई है अथवा नहीं ?

नामान्तरकरण संख्या 443 दिनांक 20.10.2020 के पारित एक पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर किया गया है जो आज भी यथावत है तथा भू अभिलेख निरीक्षक की बाद जांच तहसीलदार रोहट द्वारा पारित किया गया है। जिसमें प्रक्रिया का पालन किया जाना पाया जाता है जिसके पारित करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया है कि प्रक्रिया अवैध साबित हो।

जैर अपील नामान्तरकरण जिस पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर बाद जांच भू अभिलेख निरीक्षक, तहसीलदार रोहट द्वारा पारित किया गया है वह गलत नहीं है उक्त दस्तावेज की रजिस्ट्री उपपंजियक कार्यालय रोहट में नाबालिग द्वारा कराई गई अथवा नहीं यह सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इसकी समीक्षा इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 443 पारित दिनांक 20.10.2020 ग्राम धिंगाणा पटवार हल्का कुलथाना जो तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/9/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली